

उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्या- 2695/XL-1/2025-175/2010
देहरादून: दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

कार्यालय-आदेश

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभागाधीन कार्यरत निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित समूह 'ख' के चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान/ कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डॉ हरदेव रावत, चिकित्साधिकारी आयुर्वेद	रा०आ०चिकि० जस्सोवाला, जनपद देहरादून	रा०आ०चिकि० जौलीग्राण्ट, जनपद देहरादून

2— यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या-2695/XL-1/2025-175/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वरिष्ठ निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री/मा० आयुष मंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी/मा० आयुष मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- निजी सचिव, अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- जिलाधिकारी, देहरादून।
- निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
- जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्या- 2696 /XL-1/2025-175/2010
देहरादून: दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

कार्यालय-आदेश

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभागाधीन कार्यरत निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित समूह 'ख' के चिकित्साधिकांरी को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान / कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डॉ० रितू चिकित्साधिकारी आयुर्वेद	रा०ऐलो०चिकि० (आयुष विंग) मनान, जनपद अल्मोडा	रा०आ०चिकि० जस्सोवाला, जनपद देहरादून

2- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या-2696/XL-1/2025-175/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वरिष्ठ निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री/मा० आयुष मंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी/मा० आयुष मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- निजी सचिव, अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- जिलाधिकारी, अल्मोडा/देहरादून।
- निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मुख्य चिकित्साधिकारी अल्मोडा/देहरादून।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी अल्मोडा/देहरादून।
- जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अल्मोडा/देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्या- 2697/XL-1/2025-175/2010
देहरादून: दिनांक ०१ दिसम्बर, 2025

कार्यालय-आदेश

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभागाधीन कार्यरत निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित समूह 'ख' के चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान/ कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डॉ० मुदुला बडोनी, चिकित्साधिकारी आयुर्वेद	रा०आ०चिकि० डांगचौरा जनपद टिहरी	कोरोनेशन जिला चिकित्सालय जनपद देहरादून

2- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या-2697/XL-1/2025-175/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री/मा० आयुष मंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी/मा० आयुष मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. जिलाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
6. निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी/देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी टिहरी/देहरादून।
9. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, टिहरी/देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना सम्बंधित चिकित्साधिकारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
11. गार्ड फाईल।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्या-2698 /XL-1/2025-175/2010
देहरादून: दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

कार्यालय-आदेश

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभागाधीन कार्यरत निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित समूह 'ख' के चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान / कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डॉ० सलीम अहमद, चिकित्साधिकारी आयुर्वेद	रा०आ०चिकि० चौपाता, जनपद पिथौरागढ़	अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, बरा (MOCH) जनपद उधमसिंह नगर

2- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या-2698 /XL-1/2025-175/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वरिष्ठ निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री/मा० आयुष मंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी/मा० आयुष मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- निजी सचिव, अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर।
- निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मुख्य चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर।
- जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना सम्बंधित चिकित्साधिकारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्या- 2699 /XL-1/2025-175/2010
देहरादून: दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

कार्यालय-आदेश

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभागाधीन कार्यरत निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित समूह 'ख' के चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान/ कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डॉ० जयेन्द्र प्रताप, चिकित्साधिकारी आयुर्वेद	रा०ऐलो०चिकि० ग्वालदम, जनपद चमोली	जिला चिकित्सालय (आयुष विंग) महिला, जनपद हरिद्वार

2- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या-2699 /XL-1/2025-175/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री/मा० आयुष मंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी/मा० आयुष मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. जिलाधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
6. निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी चमोली/हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी चमोली/हरिद्वार।
9. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, चमोली/हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना सम्बंधित चिकित्साधिकारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
11. गार्ड फाईल।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।